

19

<sup>1</sup>[प्र० 2क]

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

19

8.11

1.35

5.3.2014

## भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है।)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

उसका नाम .....

(में समाविष्ट ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक

नामावली के भाग सं ..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट .....)

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं ..... में क्रम सं.

..... पर प्रविष्ट है।

तारीख 25/3/14

द्या भनी बरला

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

## भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 11 द्युमिती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

.....

.....

.....

उसका नाम 8 रांची संसदीय क्षेत्र  
 \*(में समाविष्ट 63 रांची विधान सभा) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग  
 संख्यांक 205 में क्रम संख्यांक 491 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

#### प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	59 तोपाहा	38 — 39	-	समीर रामने समीर तोपाहा		13/1/1947
2.	59 तोपाहा	38 — 43	-	शुभन रामने तोपाहा		13/1/1947
3.	59 तोपाहा	38 — 60	-	इलामनी तोपाहा		25/1/1947
4.	59 तोपाहा	38 — 64	-	गुरतन तोपाहा		25/1/1947
5.	59 तोपाहा	38 — 111	-	लालु तोपाहा		25/1/1947
6.	59 तोपाहा	38 — 127	-	फलमनी भट्ट		25/1/1947
7.	59 तोपाहा	38 — 130	-	दुर्ग तोपाहा		25/1/1947
8.	59 तोपाहा	38 — 153	-	जुलाल तोपाहा		25/1/1947
9.	59 तोपाहा	38 — 172	-	उचागतोपाहा		25/1/1947
10.	59 तोपाहा	38 — 361	-	गिरसा तोपाहा		25/1/1947

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

### भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और धोषणा करता हूँ कि -  
 (क) मैंने ..... 44 बार [..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... 5125 नहीं/..... दल द्वारा खड़ा किया गया  
 है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में 11 व्हूठी संसदीय चेना ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है,  
 अम आदमी पार्टी राजस्त्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें)  
 और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

- (i) ..... चूकु
- (ii) ..... X
- (iii) ..... X..... हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर .....  
 (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है। देवनागरी

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

\* मैं यह भी धोषणा करता हूँ कि मैं \*\*\* मुण्डा जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो S-27 मुख्य राज्य के उस राज्य में के क्षेत्र (क्षेत्र) के सम्बंध में अनुसूचित \*\*\* चौला जाति जाति/जनजाति है।

मैं यह भी धोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\* नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

द्वामनी वर्त्ता

तारीख 25/3/14

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

- \* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।
- \*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।
- \*\*\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।
- \*\*\*\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा। कृपया ध्यान दें : - "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सम्बंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

¹[भाग 3 क  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -  
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या  
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

हाँ/नहीं

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट १ को कौन काउन से बना 134/12 २) लोअर ब्राज़ा भाना काउन से ३) कोटवाली संख्यांक २५४/१२ (३) कोटवाली भाना काउन से ६०९/१२ ४) कोटवाली

(ii) पुलिस थाना

(थाने) कोको, लोअर ब्राज़ा (जिला (जिले) ..... राज्य ..... २३।८।८०५

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें)

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुमानि (जुमानियों) की राशि उपदर्शित करें

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) .....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशेष्याँ .....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं .....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) .....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) .....

दृष्टा भनी १।२०१०

स्थान :

तारीख :

२५।३।१५

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)]

भाग 4  
(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं..... 19 .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 25.03.2014 (तारीख) को 1.35 P.M. (बजे) \*अध्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 25.03.2014

मामूली  
रिटर्निंग ऑफिसर 28.3.2014

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विवरण

निवाची पदधिकारी


11 खूंटी लोकसभा (अ.ज.जा.)

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विवरण दिया हूँ :-

तारीख .....

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) .....



S-27 शुक्रवार साप्तर्षी भोज ।।

489

253

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मेरी जाति  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

### भाग-क

मैं दयामणी बरला

\*\* पुत्र/पुत्री/पत्नी

आयु 44 वर्ष, जो 63 रांची विधान सभा भोज

नोलाला वरला

मैं मुझे इसरोमध्येली डाकघर का नाम (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं 63 रांची विधान सभा

(\*\*) राजनैतिक

दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / \*\* एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। आगे नहीं है।

(\*\*) जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 63 रांची विधान सभा

(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का

नाम) में भाग सं. 205 के क्रम सं. 491 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 094311-04386

है/हैं और मेरा ई-मेल

ईडी (यदि कोई हो तो) dayamani'b@ymail.com है।

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) फेसबुक है।

(4) स्थाई लेखा संख्या (पैन) के बारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल गी गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं <u>दयामणी बरला</u>	AGXPB 3711E	2012-13	125000=
2.	पति या पत्नी <u>नोलाला बरला</u>	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित - 1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित - 2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित - 3	नहीं	नहीं	नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	1) कांडे भाना कोड 134/12 2) लोआ॒जा॑ (भाना कोड) 3) कोलाली भाना कोड 990/12 4) भाना कोड 210/12
(ख)	सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1) १०५, १४८, १४९, ३२३, ३५३ ४२८, १८८, २१०५०९८ २) १४३, १४८, १४९, ३४१, ३२३, ४२८, ३) १४३, १४४, १८८, ५००, २१०९८ ४) १४३, १४८, १४९, ३४१, ३२३, ४२८, ३५३, २१०९८
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	१) १४३, १४८, १४९, ३४१, ३२३, ४२८, ३५३, २१०९८ २) १४३, १४८, १४९, ३४१, ३२३, ४२८, ३५३, २१०९८
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	१४३
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	१४३
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	१४३

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	श्री वृषभ कुमार भारत के नियमित न्यायालय दिन ४/१०/१२ दिन १५/१२/१२
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	१४३, १४९, १४८, ३२३, ३४१, ४२८, १८८ २१०९८
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	१४३

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तिहति	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बंध में बंधपत्रों/शेयर डिवैन्चरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में लकड़ी	30000-	10000=	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	रकम सहित जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवासिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातें भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, बैंक/वैनकारी वित्तीय कम्पनियों और अन्य सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	441044.64. नहीं 5500-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवैन्चरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि) क्रय करने का वर्ष और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	स्तोना 10215 बाला 3500 30000.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे किंदावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	30000-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	नहीं 20000/- 2400/125 100000/-	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	? गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	100000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-  
 (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परियोग (वायुयान और हेलिकॉप्टर संहिता से बरतने वाले विभाग को शोध्य) Copy No 25 Date 25/07/95	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	धनकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रयकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकरी जिसके समक्ष यह लम्बित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं ..... मुख्य प्राप्ति अधिकारी दोषल (पारम्परिक ३१८)  
 (ख) पति या पत्नी ..... मुख्य प्राप्ति अधिकारी दोषल (पारम्परिक ३१८)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- २५० क्र० ५५८ (रांची विश्वविद्यालय २०१५)


(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

#### भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/क्र. <u>देवेमनी बाईला</u>		
2.	डाक का पूरा पता	<u>मुख्य प्राप्ति अधिकारी दोषल उच्चतम विद्यालय रांची विश्वविद्यालय महाविद्यालय बागलगढ़ जिला राजस्थान मुख्य प्राप्ति अधिकारी दोषल</u>		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>४-२७. ४ वर्षीय लोकसभा दोषल</u>		
4.	उस राजनीतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	<u>आम आदमी पार्टी</u>		
5.	(i) ऐसे लाभिक मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए <u>न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।</u>	<u>नहीं</u>		
	(ii) <u>ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल]</u>	<u>प्रति वर्ष छह ०२०१७ के अन्त तक प्रति वर्ष २०१८ के अन्त तक प्रति वर्ष २०१९ के अन्त तक प्रति वर्ष २०२० के अन्त तक</u>		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	<u>नहीं</u>		
7.		... का स्थायी लेख सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	<u>५८६५८३७१८</u>	<u>2012-13</u>	<u>125000/-</u>
	(ख) पति या पत्नी	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>
	(ग) आश्रित	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)  <i>पुरातनी आँखी कुमुद पाल काली</i>  <i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>
ख.	स्थावर आस्तियाँ  <i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>
I.	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
9.	  वायित्व जो विवादाधीन हैं	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रेड़िट (कुल)	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रेड़िट (कुल)	<i>पुरातनी 100000 कुमुद 100000</i>				
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।					

## सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ..... 25 मार्च 2014 ..... को सत्यापित किया गया।



टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2 शपथपत्र पर विसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठचरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5 अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं. 121-रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निवाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे - 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।